प्रतिलिपि आदेश दिनांक 11-8-14 पारित द्वारा श्री अशोक शिवहरे सदस्य राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर प्र0क्र0 निग0 2208-तीन/14 विरुद्ध आदेश दिनांक 18-7-14 पारित द्वारा अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा प्र0क्र0 516/अपील/13-14.

हरिशंकर श्रीवास्तव तनय रामेश्वर प्रसाद
निवासी ग्राम सगरा तहसील हुजूर जिला
रीवा म0प्र0 --- आवेदक

विरुद्ध

म0प्र0 शासन अन्य-4 -- अनावेदकगण

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

निगरानी प्रकरण कमांक : 2208– तीन / 2014

स्थान तथा दिनांक

कार्यवाही तथा आदेश

जिला रीवा

पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर

11.8.14

मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत यह निगरानी अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा व्दारा प्र0क0 516 / 13–14 अपील में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 18–7–14 के विरूद्व प्रस्तुत की गई है।

2/ आवेदकगण के अभिभाषक एंव म0प्र0शासन के पैनल अभिभाषक को निगरानी की ग्राह्यता पर सुना तथा प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया।

3/ आवेदकगण के अभिभाषक ने प्रारंभिक तर्को में बताया कि ग्राम सगरा तहसील हुजूर स्थित भूमि सर्वे कमांक 1730 रकबा 0.28 ए. एंव 1731 रकबा 1.33 ए. के अंश भाग 0.26 ए. कुल रकबा 0.54 ए. उसके व्दारा पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 19–6–80 से क्रय किया है । ग्राम सगरा की भूमि सर्वे नंबर 1730 एंव 1731 के पश्चिम की ओर शासकीय भूमि है जिस पर रीवा–सिरमौर के लिये खसरा कमांक 1694 में सड़क है, किन्तु तत्समय गलत ढंग से आवेदक की भूमि में रास्ता व सड़क का इन्द्राज कर दिया गया, जिसकी दुरूस्ती का आवेदन तहसीलदार को दिया तथा तहसीलदार हुजूर ने स्वयं जांच किये बिना पटवारी की गलत रिपोर्ट के आधार पर आवेदक का इंद्राज दुरूस्ती का दावा निरस्त कर दिया। इसके वाद आवेदक ने अनुविभागीय अधिकारी हुजूर के न्यायालय में अपील की, वह भी निरस्त हुई। इस आदेश के विरूद्व अपर आयुक्त रीवा के समक्ष अपील की गई जिसमें आवेदक को स्थगन दिया गया, किन्तु ग्रामीणों व्दारा पक्षकार बनाये जाने एंव स्थगन रिक्त करने की मांग को स्वीकार कर आवेदक के पक्ष में दिया गया स्थगन अकारण रिक्त किया गया है यदि आवेदक के हित में स्थगन नहीं दिया गया तो अपील का सार ही समाप्त हो जावेगा और आवेदक की भूमि पर ग्रामीणों के आवागमन से बोई गई फसल चौपट हो जावेगी। इसलिये अपर आयुक्त का अंतरिम आदेश दिनांक

18–7–14 निरस्त कर अपील प्रकरण के निराकरण तक आवेदक के हित में स्थगन यथावत बना रहने दिया जावे।

3/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा व्दारा प्र0क0 516/13–14 अपील में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 18–7–14 के अवलोकन पर पाया गया कि उन्होंने अंतरिम आदेश दिनांक 18–7–14 में अंकित किया है कि मौके पर ग्रामीणों का रास्ता आवेदक व्दारा अवरूद्व कर दिया गया है एंव प्रचलित रास्ते में किसी प्रकार का अवरोध पैदा न हो एंव रास्ता चालू बना रहे। विचार योग्य बिन्दु है कि अपर आयुक्त व्दारा उक्तानुसार निर्णय लेने में किसी प्रकार की त्रृटि की है –

> **भू राजस्व संहिता, 1959 (म.प्र.) – धारा 52 – रोक आदेश देना या न देना न्यायालय के विवेक पर निर्भर है। इस विवेक का प्रयोग न्यायिक रूप से किया जाना चाहिये और रोक के आदेश से प्रकट होना चाहिये कि न्यायालय ने मामले के तथ्यों और विवादित प्रश्नों पर विचार किया है।**

अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा ने अपील प्रकरण में सार्वजनिक सुखाचार के रास्ते को अवरोधित न करने एंव पूर्ववत् बनाये रखने का अंतरिम आदेश दिया है जिसमें किसी प्रकार का दोष नजर नहीं आता है।

4/ उपरोक्त कारणों से निगरानी सारहीन पाये जाने से अमान्य की जाती है। पक्षकार टीप करें। अधीनस्थ न्यायालय को आदेश की प्रति भेजकर प्रकरण रिकार्ड रूम में जमा किया जावे।

(अशोक शिवहरे)
सदस्य
राजस्व मण्डल, ग्वालियर